

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

जय सिंह,  
सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी समाहर्ता,  
बिहार।

पटना-15, दिनांक-15/01/2026

**विषय :-** राजस्व महा-अभियान (दिनांक-16.08.2025 से 20.09.2025) में प्राप्त "परिमार्जन प्लस" के आवेदन, जो AGRISTACK/किसानों से जुड़े हुए हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में दिनांक-16.08.2025 से 20.09.2025 तक की अवधि में राजस्व महा-अभियान संचालित की गयी, जिसमें बड़ी संख्या में डिजिटাইज्ड जमाबंदी में सुधार का आवेदन "परिमार्जन प्लस" के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में संचालित AGRISTACK महा-अभियान, जिसमें किसानों की Farmer ID बनायी जा रही है, के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि जमाबंदियों के अद्यतन नहीं रहने/डिजिटাইज्ड जमाबंदी में त्रुटि रहने के कारण कई किसान Farmer ID बनाने से वंचित रह जा रहे हैं।

उक्त के आलोक में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व महा-अभियान के दौरान "परिमार्जन प्लस" अन्तर्गत प्राप्त ऐसे आवेदन, जो AGRISTACK/किसानों से संबंधित हैं, का अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए।

अतः अनुरोध है कि इस हेतु अपने जिलान्तर्गत सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
सचिव।

ज्ञापांक-9A/विविध पत्राचार 07-04/2025- 137 (9A)/रा0, पटना-15, दिनांक-15/01/2026  
प्रतिलिपि :- सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)  
सचिव।

ज्ञापांक-9A/विविध पत्राचार 07-04/2025- 137 (9A)/रा0, पटना-15, दिनांक-15/01/2026  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0डी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)  
सचिव।